



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48547

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1578 वर्ष 2026

अभिषेक सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ तथा 2 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: किरण रानी, लालू यादव
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता	: ए.एस.जी.आई., कुलदीप कुमार

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती किरण रानी तथा प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का कथन है कि उसने एस.एस.सी. जी.डी. (सी.ए.पी.एफ., एस.एस.एफ., असम राइफल्स में राइफलमैन तथा एन.सी.बी. परीक्षा 2025 के अंतर्गत सिपाही) के पद हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, तथापि उसे नियुक्ति/कार्यग्रहण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।
3. प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है तथा इसमें कुछ समय अपेक्षित है।
4. पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों तथा उनके द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका का **निस्तारण** इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्था संख्या 2/निदेशक महाप्रबंधक (भर्ती शाखा), पूर्व ब्लॉक-07, स्तर-04, सेक्टर-01, आर.के. पुरम, नई दिल्ली के समक्ष एक समग्र अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसके साथ याचिका की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न हो। प्रत्यर्था संख्या 2 उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 06.04.2026 तक उस पर विचार करते हुए विधि अनुसार निर्णय करेगा तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर अंतिम निर्णय पारित करेगा। यदि प्रत्यर्था संख्या 2 की राय में विषय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाना

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपेक्षित हो, तो संबंधित पत्रावली को उस प्राधिकारी को यथोचित सूचना देते हुए प्रेषित किया जाएगा।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।